

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती गोपीबाई
किस्म मुकदमा - हकरसी

विपक्षी :- श्री भगवतीलाल
पत्रावली संख्या : 40/18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाए जारी की गई
	<p>दिनांक : 24.07.2018</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा. दी. का प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट दिनांक 20.08.18 को पेश हों।</p> <p>20/8/18 पत्रावली पेश हुई पालना प्राप्त नहीं बरतकार रहे पत्रावली दिनांक 20/8/18 को पेश हो गई</p> <p>30/8/18 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता तहसीलदार को पालना प्राप्त नहीं बरतकार रहे पत्रावली दिनांक 13/9/18 को पेश हो गई</p> <p>27/9/18 आज दिनांक को बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27.9.18 को पेश हों।</p> <p>27/9/18 पंचायत समिति/प्रतिवादी सच. पत्रावली रिपोर्ट के लिये मौका चाहते हैं। अतः पत्रावली दिनांक 27/9/18 को पेश हों।</p> <p>SDO मावली</p>	

estd/13
 पत्रावली पेश की जा सकास प्राण/अप्राण
 परिवारी / विपरी / विपरी उपस्थित/पीडा
 अधिकारी यही बात अज्ञान/धमप, पिडिप
 वे पत्रावे ही पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 25/12/18 को पेश की

25/12/18
 पत्रावली पेश की जा सकास प्राण/अप्राण
 परिवारी / विपरी / विपरी उपस्थित/पीडा
 अधिकारी यही बात अज्ञान/धमप/मिदि।
 वे पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 25/12/18 को पेश की

21/1/19
 पत्रावली पेश की गई। तदनुसार
 पत्रावली की पालना प्रारंभ नहीं
 की जायेगी। पत्रावली
 दिनांक 12/1/19 को पेश की

12/1/19 को दिनांक को नए एग्जिस्टेंस मातली
 के कार्य स्वयं करने पर अनुदेश किया
 अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
 26/1/19 को पेश होना

PO पत्रावली
 लगाई है
 1/1

26/1/19
 पत्रावली पेश की गई। कठिनता
 डिडी/डा. द्वारा उपस्थित होकर उक्त
 में डिडी की पालना होना बताया गया।
 उक्त में डिडी की पालना होने में कोई
 कार्यवाही शेष नहीं रहती अतः पत्रावली
 सभी स्तर पर शेष की जाती है।
 पत्रावली फैसलानुसार उक्त तदनु
 सार में इस है।



निर्णय हुआ।
 21/1/19
 सहायक कलेक्टर (SDO)